TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii).

Government of India Ministry of Finance Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes)

New Delhi, the 25th January 1996

NOTIFICATION INCOME-TAX

S.O.(E) In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 145 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the following accounting standards to be followed by all assessees following mercantile system of accounting, namely:-

A. Accounting Standard I relating to disclosure of accounting policies:

(1) All significant accounting policies adopted in the preparation and presentation of financial statements shall be disclosed.

(2) The disclosure of the significant accounting policies shall form part of the financial statements and the significant accounting policies shall normally be disclosed in one place.
(3) Any change in an accounting policy which is

(3) Any change in an accounting policy which has a material effect in the previous year or in the years subsequent to the previous years shall be disclosed. The impact of, and the adjustments resulting from, such change, if material, shall be shown in the financial statements of the period in which such change is made to reflect the effect of such change. We not ascertainable, wholly or in part, the fact shall be indicated accounting policies which has no material effect on the financial statements for the previous year but which is reasonably expected to have a material effect in any year subsequent to previous year, the fact of such change shall be appropriately disclosed in the previous year in which the

(4) Accounting Policies adopted by an assessee should be such so as to represent a true and fair view of the state of affairs of the business, profession or vocation in the financial statements prepared and presented on the basis of such accounting policies. For this purpose, the major considerations governing the selection and application of accounting policies are following,

(i) Prudence:- Provisions should be made for all known liabilities and losses even though the amount cannot be determined with certainty and represents only a best estimate in the light of available information;
(ii) Substance over form: The account is a substance over form: The account is a substance over form.

(ii) Substance over form:- The accounting treatment and presentation in financial statements of transactions and events should be governed by their substance and not merely by the legal form;

Materiality:- Financial statements should disclose all material items, the knowledge of (iii) which might influence the decisions of the user of the financial statements. (5)

If the fundamental accounting assumptions relating to Going Concern, Consistency and Accrual are followed in financial statements, specific disclosure in respect of such assumptions is not required. If a fundamental accounting assumption is not followed, such fact shall be disclosed. For the purposes of the paragraphs (1) to (5), the expressions,

"Accounting policies" means the specific accounting principles and the methods of (a) applying those principles adopted by the assessee in the preparation and presentation of financial statements;

"Accrual" refers to the assumption that revenues and costs are accrued, that is, (b) recognised as they are earned or incurred (and not as money is received or paid) and recorded in the financial statements of the periods to which they relate;

"Consistency" refers to the assumption that accounting policies are consistent from (c) one period to another; (d)

"Financial Statements" means any statement to provide information about the financial position, performance and changes in the financial position of an assessee and includes balance sheet, profit and loss account and other statements and explanatory notes forming part

"Going concern" refers to the assumption that the assessee has neither the (e) intention nor the necessity of liquidation or of curtailing materially the scale of the business, profession or vocation and intends to continue his business, profession or vocation for the

Accounting Standard II relating to disclosure of Prior period and Extraordinary В. items and changes in accounting policies:

Prior period items shall be separately disclosed in the profit and loss account in the (7)previous year together with their nature and amount in a manner so that their impact on profit or loss in the previous year can be perceived. (8)

Extraordinary items of the enterprise during the previous year shall be disclosed in the profit and loss account as part of taxable income. The nature and amount of each such item shall be separately disclosed in a manner so that their relative significance and effect on the operating results of the previous year can be perceived. (9)

A change in an accounting policy shall be made only if the adoption of a different accounting policy is required by statute or if it is considered that the change would result in a more appropriate preparation or presentation of the financial statements by an assessee.

Any change in an accounting policy which has a material effect shall be disclosed. The impact of, and the adjustments resulting from such change, if material, shall be shown in the financial statements of the period in which such change is made to reflect the effect of such change. Where the effect of such change is not ascertainable, wholly or in part, the fact shall be

indicated. If a change is made in the accounting policies which has no material effect on the Enancial statements for the previous year but which is reasonably expected to have a material

effect in years subsequent to the previous years, the fact of such change shall be appropriately disclosed in the previous year in which the change is adopted.

A change in an accounting estimate that has a material effect in previous year shall be (11)disclosed and quantified. Any change in an accounting estimate which is reasonably expected to have a material effect in years subsequent to previous year shall also be disclosed. (12)

If a question arises as to whether a change is a change in accounting policy or a change in an accounting estimate, such a question shall be referred to the Board for decision. (13)

For the purposes of the paragraphs (7) to (12), the expressions, -

"Accounting estimate" means an estimate made for the purpose of preparation of (a) financial statements which is based on the circumstances existing at the time when the financial statements are prepared;

"Accounting policies" means the specific accounting principles and the method of (b) applying those principles adopted by the assessee in the preparation and presentation of financial statements;

"Extraordinary items" means gains or losses which arise from events or (c) transactions which are distinct from the ordinary activities of the dusiness and which are both material and expected not to recur frequently or regularly. Extraordinary items includes material adjustments necessitated by circumstances which though related to years preceeding to the previous years are determined in the previous year:

Provided that income or expenses arising from the ordinary activities of the business or profession or vocation of an assessee though abnormal in amount or infrequent in occurrence shall not qualify as extraordinary item. (d)

"Financial Statements" means any statement to provide information about the financial position, performance and changes in the financial position of an assessee and includes balance sheet, profit and loss account and other statements and explanatory notes forming part

"Prior period items" means material charges or credits which arise in the previous (e) year as a result of errors or omissions in the preparation of the financial statements of one or more

Provided that the charge or credit arising on the outcome of a contingency, which at the time of occurrence could not be estimated accurately shall not constitute the correction of an error but a change in estimate and such an item shall not be treated as a prior period item.

This notification shall come into force with effect from 1st day of April, 1996 and shall accordingly apply to assessment year 1997 - 1998 and subsequent assessment years.

K.D.Gupta) (K.D. Gupta) Joint Secretary to Government of India

F.No. 132/7/95-TPL

No. 9949

भारत के राजपत्र, भाग 2, लंह 3, उपखंड हो। हे में प्रकाशनार्थ

भारत शरकार वित्त मंत्रालय राजरव विमाग केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोई

अधितूचना नई दिल्ली, तारीख २५ जनवरी, १६

आधंकर

का अग्न केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 है। 961 का 43 है की धारा 145 की उपधारा 128 दारा प्रदत्त बाकतयों का प्रयोग करते हुए सभी जो वाशिज्यिक लेखा निधारितियों दारा अनुपालन किए जाने के लिए निम्नलिखित लेखा मानक अधि-यहात के अनुश्वर-यहात करती ह, अधात :---

लेखा नीतियों के प्रकटन से संबंधित लेखा मानक :

वित्तीय विवरणों की तैयारी और उपस्थापन में अंभीकृत सभी महत्वपूर्ण 818 लेखा नीतियों के प्रकट किया जास्मा ।

JAS CAR STAN

- महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का प्रकटन, वित्तीय विवरणों का एक भाग होगी और: महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का प्रकटन सामान्यत: एक स्थान पर ही 28 किया जारगा । **.** 1.
- लेखा नीति में ऐसे किसी भी परिवर्षन को जिसका पूर्व वर्ष या पूर्व वर्षों 838 के पश्चात के ज्भों में तारिवक प्रभाव हो, को प्रकट किया जास्मा । ऐसे परिवर्तन का, समाधान और परिणामस्वरून समायोजन को यदि तात्विक हो. तो, उस अयीध के वित्तीय विवरणों, में, रेसे धरिवर्तनों का प्रभाव प्रतिबिधित करने के लिए दर्शाया जाएगा । जहां रेसे परिवर्तन का प्रभाव पूर्णतया या भागत: अभिनित्रियत न किया जा सके तो, उस तथ्य को उपदर्शित किया जाएगा । यदि लेखा नीतियों में रेसे परिवर्तन किए गए हें जिनका पूर्व वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कोई तात्विक प्रभाव नहीं हे परन्तु पूर्व वर्ष के पश्चात के किसी वर्ष पर युक्तियुक्त रूप ये उसका तार्विक प्रभाव प्रत्याभित है, तो रेस परिवर्तन के तथ्य का यूर्व वर्ष, जिसमें परिवर्तन को अंगीवृत्त किया गया है, में समुचित सम से प्रकटन विया जरिगा ।
- निर्धारती द्वारा अंगीकृत लेखा नीतियाँ ऐसी होनी याहिएकि उनके 48 आधार पर तैयार और उपस्थापित किए गए वित्तीय विवरणों से त्यापार, वृत्ति या त्यवसाय के वास्तीवक तथ्य उचित स्थिति वर्भन प्रस्तुत करें।

खाता बहिमां रखते हैं

击.

इस प्रयोजन के लिए लेखा नी तियों के क्यन और उपयोजन से शासित करने वाली मुख्य शासे निम्नलिखित हैं, अर्थात् :-

- हैं। प्रिंग :- सभी ज्ञात देनदारियों और घाटों के लिए प्रावधान किया जाना पाहिए याहे इस राभा का निभिवत रूप से अवधारणा नहीं किया जा सकता हो और उपलब्ध सूचना को ध्यान में खिते हुए सर्वोत्तम अनुमान ही उपलब्ध हो ।
- अभि प्रणा की अपेक्षा सार :- संव्यवहारों और घटनाओं का लेखा उपचार और वित्तीय विवरणारों में उपस्थापन सार द्वारा शासित होना याहिए न कि केवल विधिक प्रणा द्वारा ।
- गाहिस, जिसका ज्ञान वित्तीय विवरणाई के सभी तारिवक मदने का प्रकटन होना चाहिस, जिसका ज्ञान वित्तीय विवरणाई में ज्ययोग के विनिधयय पर असर ठाल सकता है।
 - 85 8 यदि यित्तीय विवरणाँ में वालू समुत्थान, वियरता और प्रोद्भवन की बाबत मूल लेखा धारणाओं का अनुसरणा किया जाता है तो, रेसी धारणाओं की बाबत विनिर्दिष्ट प्रवटीकरणा अपेक्षित नहीं है । यदि मूल लेखा धारणा का अनुसरणा नहीं किया जाता है तो यह तथ्य प्रवट किया जारगा ।
 - 868 परा 11 से पेरा 158 के प्रयोजनों के लिए पर ---
- हेक हैं "लेखा नी तियते" " से यह विनिदिष्ट लेखा सिद्धान्त और वित्तीय विवरणाने" की तैयारी और प्रस्तुतिकरणा में निर्धारिती द्वारा अंगीकृत सिद्धांतों का लागू करने की प्रणाली आभुत है ।
- अग्रे "प्रोप्भवन" इस धारणा को निदिबट करता है कि राजस्व और लागत प्रोप्भूत हुई है, अर्थात् जब ते अर्जित या उपगत अभिप्राप्त या प्र-दत्त धन के रूप में नहीं है और उन अवधियों के वित्तीय विवरणा में अभिलिखित हो, जिनते में संबंध है, मान्यता प्राप्त होगी।

श्यश्वित्तीय विवरणा" से किसी निर्धारिती की वित्तीय स्थिति, निष्पादन और वित्तीय स्थिति में परिवर्तन के बारे में जानकारी दने वाला कोई विवरणी अभिनेत है और इसमें तुलन-पत्र, लाख और हानि लेखा और अन्य विवरणा तथा इसमें भाग स्वरूप स्पष्टकारी टिप्पणा सि सम्मिलित है ।

हुड- हे "चालू समुस्थान" उस धारणा को निर्दि छट करता है कि निधारिती का कारवार उपजी दिका या व्यवसाय के समापन या त दिवक रूप से कम करने का न तो कोई अभाय है और न आवश्यकता तथा पूर्वानुमेय भवष्य में वह कारबार, उपजी दिका या क्यवसाय जारी रखने का आभाय रखता है ।

आपूर्व अवधि की ओर असाधारणा मदे के प्रकटन तथा लेखा नी तियाँ के परिवर्तनाँ की बाबत लेखा मानक ।।

\$7 § पूर्व अवधि की मदें पृथक रूप से उनकी प्रकृति और रक्म के साथ पिछले वर्ष के लाम और हानि लेखा में इस नीति से प्रवट की जास्मी कि पिछले वर्ष के लाम और हानि पर उनका समाधान समझा जा सके।

388 पिछले वर्ष के दौरान उद्यम की असाधारणा मदा के लाम और हानि लेखा में करायेक आय के भाग की रूप में पुकट किया जाएगा हिती पु-त्येक मद की पुकृति कोर रकम को पुथक रूप से इस रीति में पुक्ट किया जाएगा कि पिछले वर्ष के प्रपालन परिणामों के संबंध में उनका महत्व और उन पर उनका प्रमाव समझा जा तके । 898 किसी लेखा नीति में परिवर्तन केवल तभी किया जाएगा जब कानून ढारा भिन्न लेखा नीति का अंगीकरणा अपेक्षित हो या यह समझा जाता है कि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप निर्धारिती वित्तीय विवरणाएँ को अध्यक समुचित रूप में तैयार और उपरिथत कर सकेगा । हाठ है लखा मीति में कोई रेता परिवर्तन जिसका तात्विक प्रभाव है, प्रकट किया जाएगा । ऐसे परिवर्तन का समाधान और उसकेपरिणामस्तरूम किए जाने वाले समायोजन, यदि तात्विक हो तो ऐसे परिवर्तन को अतिबिम्ब करने के लिए उस अवधि के वत्तीय विवरणों में दर्भित किए जाएंग जिसमें ऐसा परिवर्तन किया गया है । जहां ऐसे परिवर्तन का पूर्णत: या भागत: प्रभाव अभिनिषिचत न किया जा सके तो यह लध्य उपदर्भित किया जाएगा । यदि लेखा नीतियों मेंऐसा परिवर्तन किया जाता है जिसका पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कोई सात्विक प्रभाव नहीं है. परन्तु पिछले वर्षों से पर्याववर्ती वर्षों में उसका तात्विक प्रभाव पहना प्रत्याभित है, ऐसे परिवर्तन के तथ्य को सद्यापत किया गया है ।

कोई

- 8118 लेखा प्राकृक्तन में रेसा परिवर्तन जिसका रूर्ववती वर्ष में तात्विक प्रभाव हो, प्रकट किया जास्गा और उसका परिफाम निर्धारित किया जास्गा । लेखा प्राकृक्तन में ऐसा कोई परिवर्तन जिसका यूर्ववती वर्ष के पश्चात के वर्षों में तात्त्विक प्रभाव पड़ने की युक्तियुक्त संभावना है, को भी प्रकट किया जास्गा ।
- 121 यदि यह प्राप्त ग्वेता है कि ऐसा मरिवर्तन लेखा नीति में परिवर्तन हे या लेखा प्रावकलन में, तो वह प्राप्त विनिषचय के लिए होई को निदिष्ट किया जाएगा ।

8138 पेरा \$78 से \$128 के प्रयोजनों के लिए शीभव्यक्त-

- कि "लेखा प्राक्कलन" से वित्तीय विवरण तैयार करने के प्रयोजन के लिए बनाया गया प्राक्कलन अभियत है जो वित्तीय विवरणी तैयार किए जाने के समय विधमान परिस्थितियों पर आधारित है ।
- 3018 "लेखा नीति" से ऐसी चिनिर्दिष्ट लेखा नीति और पद्धति अभिनेत है जिसे निर्धारिती द्वारा चित्तीय चिवरणों को तैयार करने और उपरधापित करने में अपनाया गया है।
- असाधारण मदों से ऐसे लाभ या हानि आभित है जो ऐसी घटनाओं या तमव्यवहारों से उद्धूत हुए है जो कारबार के सामान्य क्रियाकलाप से सुभिन्न हैं और जो दोनों तात्विक हे तथा जिसकी बार-बार या नियमित रूप में पुनरावृत्ति की सभावना नहीं है। असाधारण मदों में परिस्थितियों में आवध्यक ऐसा तात्विक समायोजन भी है जो यद्यपि पूर्धवर्ती वर्षों के पूर्व वर्षों से संसंधित है परन्तु पूर्व वर्ष में अवधारित किया गया है।

मरन्तु यह कि किसीनिर्धारिती के कारबार या वृत्ति या व्यवसाय के सामान्य क्रियाकताप से उद्भुत होने वाली आयं या व्यय की रकम यधपि असामान्य या बार-खार धीटत होने वाली नहीं है तथापि वह असाधारण मद के सम में अर्हत नहीं होगी ।

अभी "पित्तीय विवरण" से ऐसी कोई विवरणी अभिप्रेत है जिससे निधारिती की वित्तीय रिशति उसके निष्पादन और वित्तीय रिधति में परिवर्तन की सूचना मिल्ती हो और उसमें तुनन-पत्र, लाभ और हानि लेखा अन्य विवरण तथा उसका भाग स्वस्न स्पन्टीकारक टिप्पण भी सम्मिलित है 35-8 "पूर्व अवधि घटों" में फेयर जर्मन्य

"पूर्वे अवधि मदों" से ऐसा तात्विक प्रभार या उधार अभिनेत है जो पिछले वर्ध, एक या अधिक पूर्व वर्षों का वित्तीय विवरण तैयार करने में हुई गलतीया लोप के परिणामस्वरूप उद्भूत हुई है ।

परन्तु यह कि किसी आकरिमकता के परिणामस्वरूम उद्भूत प्रभार या उधार जिसका प्राक्कलन धारित होने के समय सही नहीं हो सका, गलती में संघोधन नहीं होगा बल्कि प्राक्कलन में परिवर्तन माना जरुगा और ऐसे मदों को पूर्व अवधि मद के रूम में नहीं समझा जारगा।

यह अधिसूषना । औल, 1996 ते प्रवृत्त होगी और तद्भुसार निर्धारण वर्ष 1997-98 और प्रयाह्वती निर्धारण वर्षों को लाग्न होगी ।

> केडी गुरुग किंग्डी गुम्ता ह

मंधुका सचिव, भारत शरकार

जावसंव 132/7/95-टीवपीवरलव

tio 9949.